FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम ..... भरतपुर .....
..... शकुन्तला ..... बनाम ..... राजेन्द्र ..... मुकदमा
..... नं0 ..... 06 ..... सन् ..... 25 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.02.2025	पत्रावली पेश हुयी। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील अपीलाण्ट ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। सुना गया। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि वादी रैस्पो0 ने एक दावा संख्या 71/13 विवादित आराजी के विभाजन का प्रस्तुत किया, जो दिनांक 18.01.2016 को डिक्री हुआ। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर वादी रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 10.03.2017 को न्यायालय हाजा से आंशिक स्वीकार होकर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड हुयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की, जो खारिज हुयी। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट ने रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत की गयी, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं अग्रिम पेशी दिनांक 28.02.2025 नियत है। उक्त रिट याचिका के रहते वादी रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के न्यायालय में उपस्थित होने के दिन ही, बिना जवाब प्रस्तुत किये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये, स्वीकार कर लिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रैस्पो0 द्वारा दिनांक 05.02.2025 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 18.02.2025 को मृतक रामेश्वर के वारिसान की ओर से मोहन शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 का निस्तारण करते हुये तहसीलदार बयाना को निर्णय एवं प्रार्थना पत्र की छायाप्रति भेजकर निर्देशित किया गया है कि वह किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो निर्णयो की पाना में नियमानुसार कार्यवाही करें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं करते हुये, केवल प्रशासनिक आदेश पारित	

किया है, जिस ... अपीलाण्ट की इस आपत्ति से भी सहमत हैं कि अधीनस्थ ... समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है एवं वकालतनामा प्रस्तुत होने की दिनांक को ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र का जवाब एवं सुनवाई हेतु अवसर देते, जो नहीं दिया गया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट ग्राह्यता स्तर पर ही अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः अधिकतम एक माह में विधि सम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें।

पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर